राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, भोपाल 462004

महत्वपूर्ण

क्रमांक / शिशु स्वास्थ्य–पोषण / एन.एच.एम. / 2020 / 5919 भोपाल,दिनांक 26/03/2020

प्रति,

1. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश**
2. **समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश**
3. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, एम्स भोपाल, म.प्र.।
4. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर / जबलपुर / ग्वालियर / रीवा म.प्र.

विषय :– पोषण नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में दिशानिर्देश।

.....

विषयांतर्गत लेख है कि, (COVID-19) कोरोना वायरस संक्रमण की विभिषिका को दृष्टिगत रखते हुये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये है। ज्ञातव्य हो कि गंभीर कुपोषित बच्चों में समान्य बच्चों की तुलना में आम बाल्यकालीन बिमारियों से 9 से 20 गुना अधिक खतरा रहता है। अतः पोषण पुनर्वास केन्द्रों / एस.एम.टी.यू. एवं स्मार्ट यूनिट, एम्स भोपाल में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों में कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण व बचाव हेतु निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1. **केन्द्र में भर्ती संबंधी निर्देश :–**
   - एन.आर.सी में केवल गंभीर कुपोषण के साथ चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को ही भर्ती किया जाये।
   - एन.आर.सी. में भर्ती के समय समस्त बच्चों में COVID-19 के लक्षणों (तेज बुखार के साथ सर्दी, खांसी व सांस लेने में तकलीफ) की जॉच की जाये एवं COVID-19 लक्षणात्मक बच्चों को COVID-19 स्क्रीनिंग वार्ड में रेफर कर Isolate किया जाये।
   - Nosocommial संक्रमण से बचाव हेतु शैय्याओं के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी हो। वार्ड में संकुचित जगह की दशा में भर्ती बच्चों को alternate bed उपलब्ध कराई जाये।
   - **भर्ती बच्चों की माताओं के साथ दैनिक समूह परामर्श, Play therapy, पौष्टिक आहार बनाने की विधि का प्रदर्शन आदि समस्त गतिविधियां आगामी आदेश तक स्थागित की जाती है।**
   - **भर्ती बच्चों की माताओं / देखभालकर्ताओं को Bed – to – Bed व्यक्तिगत परामर्श किया जाये, इस दौरान मास्क का प्रयोग तथा से भर्ती बच्चों की माताओं / देखभालकर्ताओं से एक मीटर की दूरी रखी जाये।**
   - व्यक्तिगत परामर्श में भर्ती बच्चों की माताओं को रोगप्रतिरोधक क्षमता वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्वों, व्यक्तिगत स्वच्छता, COVID-19 संक्रमण से बचाव एवं सामूहिक दूरी (Social Distancing) पर विशेष रूप से परामर्श दिया जाये।
   - **भर्ती बच्चों में से चिकित्सकीय जटिलता समान्य होने पर तथा भूख वापस आने पर उनकी एन.आर.सी. से छुट्टी की जाये, किसी भी दशा में उन्हें एन.आर.सी. में अनावश्यक रूप से 14 दिन तक ना रखा जाये। छुट्टी पर मां / देखमालकर्ता को बच्चे की घर पर की जाने वाली देखमाल संबंधी समझाईश एवं आवश्यक औषधि व मल्टीविटामिन सीरप प्रदायित करें।**
   - **COVID-19 के सक्रिय संचार अवधि से जुड़े खतरे को दृष्टिगत रखते हुये, छुट्टी प्राप्त समस्त बच्चों को 15 दिन के अंतराल से केन्द्र में फॉलोअप हेतु ना बुलाया जाये। इन बच्चों का दूरभाष पर फॉलोअप किया जाये एवं केवल चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को ही एन.आर.सी. में फॉलोअप हेतु बुलाया जाये।**

2. एन.आर.सी. स्टॉफ हेतु निर्देश :—

- समस्त एन.आर.सी. स्टॉफ, भर्ती बच्चों की माताऐं/देखभालकर्ता एवं भर्ती बच्चों द्वारा नियमित अंतराल से साबुन से हाथ धोने की क्रिया को व्यवहार में लाया जाये।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में प्रवेश पर हाथ धोना/Hand Sanitizer का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इस हेतु Hand Sanitizer तथा साबुन—पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- एन.आर.सी. में भर्ती मरीज के साथ केवल एक ही परिचारक उपस्थित हो। अनावश्यक भीड़ न लगाई जाये।
- एन.आर.सी. स्टॉफ द्वारा प्रत्येक दो केस (बच्चों) के अंतराल पर हाथ धोना/Hand Sanitizer का उपयोग सुनिश्चित की जाये।
- भर्ती बच्चों व उनकी माताओं/देखभालकर्ता तथा एन.आर.सी. स्टॉफ में यदि COVID-19 के लक्षण (तेज बुखार के साथ सर्दी, खांसी व सांस लेने में तकलीफ) परिलक्षित हो तो (COVID-19) के दिशानिर्देश अनुरूप Mask का उपयोग किया जाये एवं उन्हें आयसोलेशन वार्ड में भेजा जाये।
- एन.आर.सी. में दैनिक उपयोग वाले उपकरणों यथा वज़न मशीन, ऊँचाई/लंबाई मापन हेतु **Infantometer, Stadiometer, Length mat** तथा **MUAC** टेप, **Digital Thermometer, Drug tray,** बच्चों के खिलौने, बर्तन, चादरें, वार्ड के दरवाजें व खिडकियां, आदि को नियमित रूप से साफ व disinfect किया जाये। इस हेतु एन.आर.सी सर्पोट स्टॉफ द्वारा निर्देशों का कडाई से पालन किया जाये।

उपरोक्त परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित।

(डॉ. राजीव श्रीवास्तव)
उप संचालक
शिशु स्वास्थ्य पोषण
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य—पोषण/एन.एच.एम./2020/5920 भोपाल,दिनांक 26/03/2020

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. पोषण विशेषज्ञ, यूनीसेफ, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला NRC MO, मध्यप्रदेश।
8. समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश — निर्देश की प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को उपलब्ध करायें।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

उप संचालक
शिशु स्वास्थ्य पोषण, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश